

प्रेस विज्ञप्ति

थाना देवगांव

25000 रूपये ईनाम घोषित कुन्नू कंकाली पुलिस मुठभेड मे घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस के साथ चोरी की पिकप बरामद

पूर्व की घटनाएं-

अभियुक्त कुन्नू कंकाली पुत्र करिया निवासी मोहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी/भैंस चोरी व चोरी करने का अपराध कारित करता था तथा अभ्यस्त अपराधी है।

➔थाना देवगाव क्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्राम नरायनपुर नेवादा मे स्थित रेडिमेड कपडे की दुकान का रात्रि मे खिडकी का ग्रिल काटकर चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय मु0अ0सं0 429/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ।

➔दिनांक 27.11.2022 को ग्राम गिरधरपुर मे खडी बोलेरो की चोरी की गयी जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 460/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।

➔दिनांक 12.12.2022 को ग्राम चकमोजनी मे खडी बोलेरो गाडी की चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 487/22 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है।

➔ दिनांक 10-11.12.2022 को कस्बा देवगाव से 08 बकरी की चोरी किये थे जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 493/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृत है।

➔ दिनांक 19.11.2021 को थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चौकी देवगाव से रात्रि मे घर के सामने खडी पीकप गाडी चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0248/2021 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी तथा अभियुक्त की तलाशी की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 04.01.2022 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे मय हमराह के साथ चेकिंग के दौरान रूद्रपुर चेवार तिराहे पर मौजूद थे जहां पर निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय पुलिस बल के साथ गस्त करते हुए आकर मिले। कुछ देर बाद देवगांव की तरफ से स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 विनय कुमार दूबे मय हमराह भी आकर मिले।

जनपद आजमगढ़ में घटित घटनाओं में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में आपस में बातचीत के दौरान जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि अन्तर्जनपदीय इनामी अपराधी बिना नम्बर लगी चोरी की पिकअप वाहन के साथ केराकत-देवगांव मार्ग पर करियागोपालपुर की तरफ से गड़ौली होकर बुढ़ऊ बाबा आकर अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी/भैंस चोरी करने की फिराक में है। यदि जल्दी किया जाए तो चोरी की पिकअप गाड़ी सहित पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर योजना के अनुसार स्वाट टीम गड़ौली में घेराबंदी करने चली गयी और प्र0नि0 देवगांव मय हमराह के साथ जयगुरुदेव आश्रम जाने वाले रास्ते के पास मोड़ पर आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर चेक करने लगे कि कुछ देर बाद स्वाट टीम द्वारा बताया गया कि एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी बुढ़ऊ बाबा की तरफ जा रही है।

इस सूचना पर सरकारी वाहन को आड़ी तिरछी खड़ी कर रोड़ ब्लाक कर गड़ौली की तरफ से आने वाले पिकअप वाहन का इन्तेजार करने लगे। कुछ देर में एक चार पहिया गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी।

पुलिस टीम को देखकर चालक गाड़ी रोककर पीछे की तरफ जाने लगा। पीछे से स्वाट टीम के आने व प्रभारी देवगांव द्वारा गाड़ी की तरफ बढ़ने पर ड्राइवर पिकअप को बाये तरफ ग्राम सारंगपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ कर भागने लगा खराब रास्ते के कारण पिकअप वाहन फंस गया।

ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतर कर भागने लगा पुलिस बल द्वारा चारो तरफ से घेरने का प्रयास किया तो भाग रहे व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर एक फायर किया। आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर पुलिस टीम को पुनः जान से मारने की नियत से अपने तमंचे से एक राउण्ड फायर किया। थाना प्रभारी देवगांव व निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक-एक राउण्ड फायर किया गया जिसमें बदमाश कराहते हुए जमीन पर गिर गया व तमन्चा लोड करने का प्रयास कर रहा था। कि पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 20:55 बजे पकड़ लिया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम कुन्नू कंकाली पुत्र करिया निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़ बताया।

मौके पर खड़ी पिकअप गाड़ी के संबंध में पूछने पर कराहते हुए बताया कि यह पिकअप मैं अपने साथी अजीम पुत्र मुन्ना ग्राम कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, रिजवान पुत्र झिनकू निवासी खेता सराय थाना खेता सराय जनपद जौनपुर, कल्लू उर्फ दिलनवाज पुत्र फैय्याज उर्फ गुड्डू ग्राम अब्बू सईदपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़, हारुन पुत्र मुख्तार निवासी मोहम्मदपुर कोहड़उरा थाना गंभीरपुर आजमगढ़, नईम पुत्र शकील ग्राम कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ व सैफ पुत्र इमरान निवासी सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर जौनपुर से चुराये थे, सही स्थान मुझे नही मालुम है।

अन्य घटनाओ के संबंध में पूछने पर बताया कि पिछले साल नवम्बर महीने में मैंने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक पिकअप गाड़ी ग्राम चौकी देवगांव से चुराये था। वह गाड़ी रिजवान पुत्र झिनकू निवासी खेता सराय थाना खेता सराय जनपद जौनपुर के पास है।

➡दिनांक 02.11.2022 को रात्रि में करीब 12-01 बजे सैफ को छोड़कर अन्य सभी साथियों के साथ ग्राम नरायनपुर नेवादा से हाईवे के किनारे स्थित जुता, चप्पल व कपडे की दुकान में पीछे की खिडकी तोडकर दुकान में घुस कर जुता, चप्पल व कपडो की चोरी किये था।

➡दिनांक 26/27.11.2022 की रात्रि में सैफ सहित उक्त सभी साथियों के साथ ग्राम गिरधरपुर से बोलेरो चुरा लिये थे जिसका नम्बर प्लेट अनिल चौहान पुत्र बृजबिहारी निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के सहयोग से बदलवा दिये थे जो नईम पुत्र शकील निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के पास है।

➡दिनांक 11.12.2022 को रात्रि करीब 01 बजे सैफ को छोड़कर अन्य उक्त सभी साथियों के साथ ग्राम मिर्जापुर (कस्बा देवगांव) के एक घर में घुस कर 08 बकरी चुराकर बोलेरो में लाद कर ले गये थे जिसमें से दो बकरी हम लोगो ने तालिब पुत्र शब्बू निवासी टिग्घीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को 6300/- रुपये में बेच दिया था तथा तीन बकरी हम लोग मुबारकपुर जाकर नेहाल पुत्र एकबाल निवासी पुरा दिवान मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को 9700/- रुपये में बेच दिये थे। 05 बकरी बेचने में मिले रुपये को हम लोगो ने आपस मे बराबर बराबर बांट लिया था

➡दिनांक 12.12.2022 को हम लोगो ने मिलकर ग्राम चकमोजनी आकर एक बोलेरो गाडी चोरी कर उसी से उक्त हम सभी साथी ग्राम अवदह दुलारगंज थाना क्षेत्र बरदह आकर एक पिकअप गाडी चुराया था।

इन चोरी की गाडियो से हम लोग रात्रि में बकरी, भैस आदि की चोरी करके भिन्न दृ भिन्न स्थानों पर ले जाकर बेच देते है तथा जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट कर अपना व अपने परिवार का खर्च चलाते है तथा रात्रि में गाडियो को उल्टा सीधा चलाने से अक्सर गाडियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमलोग अनिल चौहान पुत्र बृज बिहारी निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के गैरेज पर ले जाकर बनवाते है तथा अनिल चौहान के गैरेज पर ही चोरी की गाडियो को छिपाकर रखकर गाडी का नम्बर प्लेट बदलवाकर कुछ हुलिया बदलवा देते है। बदले में अनिल चौहान को हम लोग चोरी के सामानो/जानवरो को बेचने से मिले पैसे मे से हिस्सा देते है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 06/2023 धारा 307,379,457,380,411,413,473 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट देवगाँव आजमगढ़

बरामदगी

01 देशी तमंचा .315 बोर

02 खोखा कारतूस .315 बोर,

02 मिस कारतूस .315 बोर

01 चोरी की पिकअप गाडी

800/- रुपया चोरी के बिक्री के माल का।

आपराधिक इतिहास

कुन्नु कंकाली पुत्र करिया सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

मु.अ.सं. 429/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़

मु.अ.सं. 460/2022धारा 379/411 भा0द0वि0देवगाँव आजमगढ़

मु.अ.स. 487/22धारा 379 भा0द0वि0देवगाँव आजमगढ़

मु.अ.सं.493/22धारा379/411 भा0द0वि0देवगाँव आजमगढ़

मु.अ.सं. 0248/2021धारा 379 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़

मु.अ.सं. 394/22धारा 457/379/380 भा0द0वि0 बरदह आजमगढ़

मु.अ.सं. 462/22धारा 457/380 भा0द0वि0 निजामबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

कुन्नु कंकाली पुत्र करिया सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानन्द चौबे थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह।

नि0 अपराध रूद्रभान पाण्डेय थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ मय हमराह

स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 विनय कुमार दूबे मय हमराह।